UPAD010075122026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2, प्रयागराज

उपस्थित : अनुराधा पुण्डीर, ... एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2759 / 2026

लकी उर्फ अक्षय केसरी पुत्र गोपाल चन्द्र, निवासी बेली कालोनी, थाना कैन्ट, जनपद प्रयागराज। ..... आवेदक / अभियुक्त

प्रति

राज्य उ0प्र0 ..... विपक्षी

अपराध सख्या–129 / 2026
अन्तर्गत धारा 109(1), 324(2), 351(3) भा0न्या0सं0 व धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना कैन्ट, जनपद प्रयागराज

14.07.2026

1. आवेदक / अभियुक्त लकी उर्फ अक्षय केसरी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण के संबंध में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदक / अभियुक्त की ओर से शिव कुमारी (अभियुक्त की मां) का शपथपत्र इस आशय का दिया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

2. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मो0 शारिक ने दिनांक 11.06.2026 को संबंधित थाने में इस आशय की तहरीर दी कि प्रार्थी का शानू पुत्र स्व0 एकलाख अहमद से जमीन का विवाद काफी अर्से से चला आ रहा है। आज दिनांक 10.06.2026 को समय लगभग 5 बजे शाम शानू अपने मित्र लकी निवासी बेली गांव व दो अज्ञात व्यक्ति के साथ प्रार्थी के घर पर चढ़ आये, जबकि प्रार्थी मोटर साइकिल से बाहर किसी काम के लिए जा रहा था। उपरोक्त लोगो ने ललकारते हुए प्रार्थी के बुलेट मोटर साइकिल की चभी निकालते हुए शानू ने लकी से बोला कि आज शारिक को जान से मार देंगे, प्रार्थी उपरोक्त लोगों की मंशा भापते हुए बुलेट मोटरसाइकिल छोड़कर घर की तरफ भागा, तो शानू व लकी एकराय होकर जान से मारने की नियत से प्रार्थी को लक्ष्य करते हुए लगातार दो बम मारते हुए हमला किया, जिससे प्रार्थी के हाथ व पैर में बम के छर्रे से चोट लग गयी है। हो हल्ला व लोगों को

इकट्ठा होते देख उपरोक्त शानू, लकी व दो अज्ञात व्यक्तियो ने बुलेट मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि आवेदक निर्दोष है, उसको रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पढ़ने लिखने वाला छात्र है और प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करता है। प्रार्थी न तो घटना के समय वहां मौजूद था और न ही घटना कारित किया है। पुलिस वालों की मिली भगत से प्रार्थी को झूठा रंजिशन फंसाया गया है। घटना स्थल पर लगे सी0सी0टी0वी0 फुटेज को देखा जाये तो पाया जायेगा कि प्रार्थी घटना में शामिल नहीं था। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध विधिक रूप से विश्वसनीय कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (दाण्डिक) तथा वादी मुकदमा के निजी अधिवक्ता ने जमानत का घोर विरोध करते हुये यह तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्त है तथा बेहद शातिर अपराधी है। प्रार्थी/अभियुक्त बम चलाने में निपुण है। जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथन झूठे व मनगढन्त हैं, मात्र गुमराह करते हुये जमानत प्राप्त करने के लिए किये गये है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा को जान से मार डालने की नीयत से बम से प्रहार किया गया है, जिससे वादी को चोटें आयी है। मामले की विवेचना प्रचलन में है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है तथा वह जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

5. जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण द्वारा वादीमुकदमा मो0 शारिक को जान से मार डालने की नीयत से लगातार दो बम से प्रहार करने का आरोप लगाया गया है, जबकि संबंधित थाने द्वारा केस डायरी के साथ प्रेषित वादी मुकदमा/चोटहिल मो0 शारिक की आघात आख्या में कठोर कुन्द आला से कारित साधारण प्रकृति की दो चोटें आने का उल्लेख किया गया है, जो कि उसके हांथ व पैर पर हैं। संबंधित थाने द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का एकमामले का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, किन्तु किसी मामले में प्रार्थी/अभियुक्त के दोष सिद्ध होने का कोई कथन नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 18.06.2026 को स्वयं आत्म समर्पण कर कारागार में निरूद्ध है।

7. उपरोक्त समस्त तथ्य, परिस्थितियों तथा चोटहिल के चोटों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए इस न्यायालय के मत में आवेदक/अभियुक्त को प्रस्तुत मामले में दौरान मुकदमा जमानत दिए जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त लकी उर्फ अक्षय केसरी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2759/2026 मुकदमा अपराध सख्या–129/2026 अन्तर्गत धारा 109(1), 324(2), 351(3) भा0न्याय0सं0 व धारा 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कैन्ट, जनपद प्रयागराज स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 1,00,000/– (एक लाख) रूपये की धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र व उतनी ही धनराशि की एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो पर जमानत पर रिहा किया जाय–

1. जमानत पर छूटने के उपरांत अभियुक्त मामले से सम्बन्धित साक्षियों को डरायेगा/धमकायेगा नहीं और न ही प्रकरण के किसी साक्ष्य से छेड़छाड़ करेगा।
2. अभियुक्त मामले के विचारण के दौरान सहयोग करेगा तथा अनावश्यक रूप से मामले मे स्थगन लेकर मामले के निस्तारण मे विलम्ब नहीं करेगा।
3. अभियुक्त नियत तिथि पर विचारण के दौरान न्यायालय मे उपस्थित रहेगा।
4. वर्तमान अपराध के सदृष्य अन्य अपराध मे लिप्त नहीं होंगा।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 14.07.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.07.17 11:04:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court